

## फर्द अज्ञकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक- 09/04/2024

क्रमांक/रीडर/2024/137/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय— प्र.सं. 137 / 2024 अजवान धीरा पुत्र हेमा रेगर निवासी बागदर ब्रह्म  
रणजीत सिंह पुत्र मानसिंह चौहान निवासी बागदर, छोद पुत्र भूरानाल भील निवासी  
देवरा, भुवाना पुत्र बरदा चमार निवासी देवरा, छोद पुत्र मन्दा बावला गुर्जर निवासी  
देवरा, छीतर लाल पुत्र माधु लाल रेगर हाल निवासी जहाजपुर, बनवारी पुत्र राजेंद्र  
सुनार निवासी बगुदार, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढी की पालना करने बाबत

उपरोक्त विषयांकित अजवान के प्रकरण में बागदर प.ह. रोपा  
आराजी सं. 813/658, 909/468 कुल कित्ता 02 रकबा 2.5920 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की  
उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक रोपा को नियुक्त किया जाता है।  
कमीशनर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200  
रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं  
किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष  
की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

धीसा पुत्र हेमा रेगर निवासी बागूदार

बनाम

रणजीत सिंह पुत्र मानसिंह चौहान निवासी बागूदार वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 137/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये
09-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ   प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया   प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम बागूदार प.ह. रोपा आराजी सं. 813/658, 909/468 कुल किता 02 रकबा 2.5920 हेक्टेयर भूमि स्थित है   अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी है   अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें   प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है  </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी   पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है   प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है   ग्राम बागूदार प.ह. रोपा आराजी सं. 813/658, 909/468 कुल किता 02 रकबा 2.5920 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक रोपा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है   कमीश्नर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे   पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे   पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे   तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है   पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें  </p> <p>आदेश आज दिनांक 09/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया  </p>	

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (शाहपुरा)